जनपद गाजियाबाद   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 24.04.19

<u>गौकशी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक जिन्दा गाय व गाय काटने के उपकरण बरामदः-</u> थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 24.4.19 को समय 1.20 बजे खोचे वाला कब्रिस्तान नहाल मसूरी के पास से अभियुक्त राशीद उर्फ भौंडी पुत्र नजीर निवासी नहाल थाना मसूरी गा0बाद 2- इस्लाम पुत्र याकूब निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से एक जिन्दा गाय व गाय काटने के उपकरण बरामद हुए है।

<u>चोरी के 02 मोबाइल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः</u>- थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 24.4.19 को समय 5.48 बजे WSM मॉल के पास से अभियुक्त सलाऊद्दीन पुत्र अल्लानूर निवासी नगरिया कल्याणपुर जिला बरेली को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुए है।

<u>03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 भैसे कटी हुई व 03 चाकू बरामदः-</u> थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 24.04.19 को समय 7.00 बजे थाना मसूरी क्षेत्र से अभियुक्त 1-गुलजार पुत्र यामीन कुरैशी निवासी कुरैशियान डासना थाना मसूरी गा0बाद 2-इमरान पुत्र अलीहसन कुरैशी निवासी उपरोक्त 3-चाँद पुत्र असलम कुरैशी निवासी उपरोक्त को भैंसे काटते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 02 भैंसे व 03 चाकू बरामद हुए है।

<u>दिनांक 21.04.19 को ज्ञानखंड–4 में हुई पत्नी व तीनों बच्चों की जघन्य हत्याकाण्ड का खुलासा हत्यारा गिरफ्तार–</u> दिनांक 21.04.19 को स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञानखंड–4 इंदिरापुरम में तीन बच्चे व एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। जिसके सम्बन्ध मे थाना इंदिरापुरम पर मु0अ0सं0–875/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया।

उक्त हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 23.04.19 को अभियुक्त सुमित कुमार को मणिपाल जिला उडप्पी कर्नाटक से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की हैं। जिसके कब्जे/निशादेही पर घटना उपरोक्त से सम्बन्धित आलाकत्ल एक चाकू जो दिनांक 24.04.19 को अभियुक्त द्वारा फैंके गये स्थान से व 01 एमआई मोबाईल फोन, 01 बैग, 01 पर्स, 5300/– रुपये, 01 पासपोर्ट व अन्य सामान बरामद हुआ है बरामद चाकू के सम्बंध में थाना स्थानीय पर अ0स0–900/19 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट का अभियेाग पंजीकृत हैं। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान फौरेसिंक टीम के द्वारा घटनास्थल से कोल्ड ड्रिंक की बोतल, खून से सने हुए मृतक/अभियुक्त के कपडे कब्जें में पूर्व में ही ले लिये गये थे जिसके सम्बंध में जांच प्रचलित हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1:– सुमित कुमार पुत्र सर्वानन्द सिंह निवासी 79/2/4 रोड न0–6 आदित्यपुर थाना आदित्यपुर टाटा नगर जनपर सराय केला खरसावा झारखण्ड, हाल निवासी म0न0–175बी ज्ञानखंड–4 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः–</u>

उक्त हत्या_बच्चों के पिता सुमित कुमार द्वारा ही कारित की गयी है। जिसके सम्बंध में अभियुक्त सुमित द्वारा अपने भाई को एक व्हाटसअप वीडियों बनाकर भेजा गया था जिसमें उसने घटना स्वंय के द्वारा कारित करना कबूल किया है तथा नशे का आदी होना व आर्थिक तंगी से परेशान होकर उक्त कदम उठाने की बात कही गयी है। व्हाटसअप वीडियों में सुमित कुमार द्वारा यह भी बताया गया हत्या करने से पहले

नींद की दवा कोल्ड ड्रिक में मिलाकर अपने परिवार को दी गयी थी तथा वह स्वंय भी पुटेशियन साईनाईट खाकर आत्महत्या करने जा रहा है। उक्त वीडियों में उसने हुकुम मैडिकल स्टोर से पुटेशियन साईनाईट तथा नींद की दवाईया खरीदना बताया गया वीडिया फुटेज के आधार पर औषधि निरीक्षक गाजियाबाद व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर पर दिनांक 22.04.19 को छापा मारा गया जहा से भारी मात्रा में अवैध/प्रतिबंधित दवाईया मिली तथा मेडिकल स्टोर का लाईसेंस भी बिना नवीनीकरण पाया गया जिसके आधार पर औषधि निरीक्षक द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर के मालिक मुकेश कुमार के विरुद्ध मु0अ0स0–880/19 धारा 419/420 भादवि व मु0अ0स0–881/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व 18ए/27/32 औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सुमित की गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी पुलिस टीम को सटीक सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त सुमित उडप्पी जिला कर्नाटक में मौजूद है जिस पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उडप्पी पुलिस के सहयोग से अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय उडप्पी कर्नाटक से 72 घंटे का ट्रान्जिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद लाया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पिछले 03 माह से नौकरी छूट जाने के कारण काफी परेशान था तथा नशें की लत होने के कारण काफी खर्चा हो रहा था तथा बच्चों की पढाई छूट गयी थी तथा अभियुक्त पर नौकरी छूट जाने के कारण काफी कर्जा हो गया था जिससे परिवार का पालन पोषण सम्भव नही हो पा रहा था।इसलिए अभियुक्त ने अपने परिवार की हत्या तथा स्वंय की आत्महत्या करने की योजना बनाई जिसके लिए अभियुक्त ने स्थानीय मार्किट से दिनांक 20.04.19 को एक चाकू खरीदकर लाया तथा दिनांक 20/21.04.19 की रात्रि में चाकू से अपनी पत्नी व तीन बच्चों की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी तथा खून से लथपथ कपडो को बदलकर खून से लथपथ कपडो को घर में ही छोडकर व घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के बाहर झाडियों में फैंक कर स्वंय टैक्सी बुक करके दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया था वहा से त्रिवेन्द्रम राजाधानी ट्रेन पकडकर निकल गया और रास्ते में इसने अपने मोबाईल फोन से Confession Video बनाकर अपने भाई को भेज दी थी तथा हुकुम मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराये गये तथाकथित पुटेशियन साईनाईट को खा लिया था चुंकि पुटेशियन साईनाईट नही था इसलिए अभियुक्त का आत्महत्या का प्रयास असफल रहा जिसके उपरान्त पुलिस से बचने के उद्देश्य से उडप्पी कर्नाटक में ट्रेन से उतर गया था जहा पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया हैं

अभियुक्त से बरामद सामान विवरणः–

1:–01 एमआई मोबाईल फोन
2:–01 बैग
3:–01 पर्स
4:–5300/– रुपये
5:–01 पासपोर्ट व अन्य सामान
6:–01 चाकू आलाकत्ल **(अ0स0–900/19 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट)**